3 6/25 अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र आ.1 नि.10 CPC पेश नहीं करने पर बंद किया जाता है। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आ.1 नि. 10 CPC भली-भांति साबित नहीं होने पर अस्वीकार किया जाता है। TI की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 26/06/25 को पेश हो।

26 06/25 पार्टी का कार्य स्थगित है श्री मान PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 8/7/25 को पेश हो Ramesh

8 7/25 अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। TI की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18/07/25 को पेश हो।

18 7/25 अधिवक्तागण उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा। TI की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 25/07/25 को पेश हो।

25 7/25 अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थी उपस्थित नहीं। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को मक-2 कर 3 बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA अदम पैरवी, अदम हाजरी में खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 14/3/25 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)